फर्द अहकाम

मनोज बनाम गुलाबचंद व अन्य
मालाना बनाम कमला व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

संख्या 80/2020, 79/2020

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01/08/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षकारान की बहस आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट पर सुनी गई, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली तथा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार आमेर द्वारा विधिवत प्रक्रिया अनुसार पक्षकारान को विधिवत पूर्व सूचित करते हुए तथा पक्षकारान को नोटिसों की विधिवत प्राप्ति व सूचना सुनिश्चित करते हुए मौका निरीक्षण अनुसार कुरेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रावधानों की पालना, मुख्य सड़क (रोड फेस) की सुविधा, आवागमन की सुविधा, भूमियों की कृषात्मक अखण्डता व पक्षकारान की अन्य भूमियों की समीपता आदि सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखा गया प्रतीत होता है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रदर्शित नहीं होती है। प्रार्थी प्रतिवादीगण का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि प्रार्थी प्रतिवादीगण को कुरेजात प्रस्ताव से विधिवत पूर्व सूचित नहीं किया गया है [illegible] के संलग्न नोटिस पावती अनुसार [illegible] को विधिवत सूचना / [illegible] सुनिश्चित [illegible] प्रार्थी प्रतिवादीगण [illegible] का यह कथन भी स्वीकार योग्य प्रमाणित नहीं होता है कि अप्रार्थी वादी को मुख्य सड़क पर भूमि प्रदत्त/ 2/	P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.29 14:58:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मनोज बनाम गुलाबचंद व अन्य
भगवाना बनाम कमला व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मु.-जयपुर

केस संख्या 80/2020, 79/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	01/08/25	प्रस्तावित की गई है, जबकि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी प्रतिवादीगण को भी मुख्य सड़क (रोड फेस) पर खसरा नं. 1588/2 व खसरा नं. 1578/2407 के रूप में भूमि प्रस्तावित की गई है तथा सरस नरस के सिद्धान्त के अनुसार (अनुकूल) ही वादी व प्रतिवादी सं. 14 को मुख्य सड़क के पट्टि की ओर समानुपातिक रूप से भूमि ख.नं. 1578/2407 व खसरा नं. 1588/1 के रूप में प्रस्तावित की गई है अतः उक्त संदर्भ में प्रस्तुत आपत्ति पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। इसके अतिरिक्त कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी प्रतिवादीगण को प्रस्तावित खसरा नं. 1588/2 के रूप में जो भूमि प्रस्तावित की गई है, वह प्रार्थी प्रतिवादीगण को अपनी अन्य खातेदारी भूमियां (जो कि [illegible] अन्यवाद के अन्तर्गत इस्तगासा वाद के समझौता वाद की भूमि है) ख.नं. 1582, 1585, 1586, 1587 के सीमालगाव होने के दृष्टिगत प्रस्तावित की गई है जिससे उक्त दृष्टिकोण से भी आपत्ति पोषणीय प्रतीत नहीं होने से खारिज की जाती है। एक अन्य आपत्ति के आधार के रूप में प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण का हिस्सानुसार पृथक पृथक खाता विभाजन प्रस्तावित नहीं करते हुए प्रार्थी प्रतिवादीगण का हिस्सा/खाता संयुक्त P.T.O

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मनोज बनाम गुलाबचंद व अन्य
भगवाना बनाम कमला व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मु.-जयपुर

केस संख्या 80/2020, 79/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01/08/25	रूप से प्रदर्शित करते हुए प्रस्तावित कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी प्रतिवादीगण का भी पृथक पृथक विभाजन अनुसार खाता विभाजन प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। उक्त संदर्भ में प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी वादी द्वारा अपने अभिलिखित हिस्सानुसार भूमि विभाजन कर स्वयं का पृथक खाता कायम किये जाने का अनुतोष चाहा गया था। जिसके क्रम में प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब वाद पत्र के अन्तर्गत ऐसा कोई अभिवचन अथवा अनुतोष व्यक्त नहीं किया गया है जिसके दृष्टिगत प्रार्थी प्रतिवादीगण का भी पृथक पृथक खाता प्रस्तावित किया जाता। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा कोई काउन्टर क्लेम अथवा दौरान बहस प्रारंभिक डिक्री में भी ऐसी कोई अभिव्यक्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। जिसके दृष्टिगत प्रार्थी प्रतिवादीगण का भी पृथक खाता कायम किये जाने संबंधी आदेश की औचित्यता प्रदर्शित होती। इसके उपरान्त भी यदि प्रार्थी प्रतिवादीगण को अपने-अपने पृथक खाता अनुसार विभाजन की अपेक्षितता थी तो प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में तहसीलदार आमेर द्वारा प्रेषित नोटिस के क्रम में मौके पर उपस्थित होकर अपनी अपेक्षा की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जा सकती थी। परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से वाद प्रारंभिक डिक्री जारी के पूर्व तथा उक्त क्रम में कुरेजात रिपोर्ट प्राप्ति के पूर्व भी ऐसी कोई लिखित/मौखिक आपत्ति/अभिव्यक्ति	P.T.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.29 14:58:36 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

मनोज / भावना बनाम गुलाबचंद व अन्य / कमला व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

केस संख्या 80/2020, 79/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	01/08/25	प्रस्तुत नहीं की गई है अपितु प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वादपत्र भी शामलाती ही रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा आपत्ति भी कुरजात रिपोर्ट के संबंध में शामलाती ही प्रस्तुत की गई है। जिससे खातेदार / सहखातेदारान की मांग के विपरीत, सक्षम आदेश [illegible] अभाव में पृथक खाता प्रस्तावित किए जाने की कोई औचित्यता नहीं होने से उक्त संदर्भ में प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है। इसके अतिरिक्त भी प्रार्थी प्रतिवादीगण को अभिलिखित हिस्सा / रकबा अनुसार प्रार्थी प्रतिवादीगण के पृथक खाता, नक्शा प्रस्तावित किये की संभावना व उसके अनुसार पालना की क्रियान्विति की संभावना भी प्रदर्शित प्रतीत नहीं होती है तथा भूमि का खंड-खंड तथा आवागमन भी प्रभावित प्रदर्शित होता है अतः उक्त संदर्भ में भी आपत्ति पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। इस प्रकार प्रस्तुत कुरजात रिपोर्ट के गहन अवलोकन व [illegible] व रकबा [illegible] विवेचन से प्रस्तुत कुरजात [illegible] विधि प्रक्रिया अनुसार व प्रावधान व [illegible] हितों [illegible] तथा उपर्युक्त [illegible] पोषणीय [illegible] सिद्ध / प्रमाणित [illegible] का प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आपत्ति खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर की ओर से प्रस्तुत कुरजात रिपोर्ट अनुसार वाद कार्यवाही अंतिम डिक्री किया जावे। निर्णय सुनाया गया। P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

मनोज / भावना बनाम गुलाबचन्द व अन्य / कमला व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर

संख्या 80/2020, 79/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
01/08/25	पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.29 14:58:36 IST
Reason: SelfAttested